कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिशा–निर्देश

भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल लाईव स्टाक मिशन के अन्तर्गत बकरी एवं भेड़ प्रशिक्षण केन्द्र, जमुनापारी बकरी प्रक्षेत्र,इटावा की स्थापना योजना(100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–115/2016/ 2556/सैतीस–2–2016–1(20)/2014 दिनांक 24 नवम्बर,2016 द्वारा धनराशि रू0–10.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति तथा शासनादेश संख्या–203/सैतीस–2–2016–1(20)/2014 दिनांक 22फरवरी,2017 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0–0.53 लाख (कुल धनराशि रू0–10.53 लाख) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।जिसके सापेक्ष्य वित्त नियंत्रक, प्रधान कार्यालय के पत्र संख्या–305/बजट/29(5)/अनु0–15/25/30/ 2016–17 दिनांक 2–12–2016 द्वारा मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, इटावा को धनराशि रू0–299800.00 का आवंटन किया गया था।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र दिनांक 23 मार्च 2017 द्वारा मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, इटावा को उक्त आवंटित धनराशि का अग्रिम आहरण करने अनुमति प्रदान की गयी है। जिसके सापेक्ष केन्द्रीय,बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम फरह मथुरा से बकरी पालको/प0प्र0अधिकारियों को प्रशिक्षण कराये जाने पर व्यय होने वाली धनराशि रू0–269325.00 का भुगतान किया जाना है तथा शेष बची धनराशि रू0–30475.00 से बकरी पालको को प्रशिक्षण उपरान्त आंशिक यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाना है।

प्रशिक्षण निम्न शर्तो के अधीन दिलाया जायेगा जो निम्न प्रकार है:–

1– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, इटावा बकरी पालको को प्रशिक्षण उपरान्त शेष बची धनराशि रू0–30475.00 से ही दूरी के अनुसार आंशिक यात्रा भत्ता अपने स्तर से नियमानुसार निर्धारित करते हुये उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त आंशिक यात्रा भत्ता हेतु और धनराशि नही दी जायेगी।

2– केन्द्रीय,बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम फरह मथुरा को अग्रिम भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष दिनांक 30–6–2017 से पूर्व आयोजित होने वाले प्रशिक्षण की तिथि प्राप्त कर प्रस्तावित प्रशिक्षण पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

3– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, औरैया, कन्नौज,कानपुर देहात, मैनपुरी, आगरा,एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, अलीगढ तथा इटावा जनपदो से 10–10 बकरी पालको की सूची प्राप्त कर उक्त प्रशिक्षण संस्थान पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु अपने स्तर से नामित करते हुये बकरी पालको को सूचित करेगें।

4– उक्त जनपदों से 03–03 पशुधन प्रसार अधिकारी की सूची प्राप्त कर अपने स्तर से 30 पशुधन प्रसार अधिकारियों को प्रशिक्षण संस्थान पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु अपने स्तर से नामित कर सूचित करेगें।

5– बकरी पालको को प्रशिक्षण हेतु भुगतान किये जाने वाले आंशिक यात्रा भत्ता की प्राप्त रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें।

6– उक्त संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त बकरी पालको/पशुधन प्रसार अधिकारियों की सूची प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें।

ह0/–

(डा0 चरण सिंह यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

संख्या 308 /प0–1/9ख/प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना/2016–17 दिनांकः 25/5/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रतिलिपि मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,इटावा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम उपरोक्त दिये गये दिशा–निर्देशो का पूर्ण रूप से पालन करते हुये दिनांक 30–6–2017 से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।

2– उप निदेशक,(नियोजन) प्रधान कार्यालय।

3– नोडल अधिकारी, एन0एल0एम0सेल,प्रधान कार्यालय।

4– वित्त नियंत्रक, प्रधान कार्यालय।

5– विशेष सचिव,पशुधन अनुभाग–2,उ0प्र0शासन,सचिवालय,लखनऊ।

6– श्री नवीन गुप्ता कम्प्यूटर सुपरवाईजर,निदेशालय पशुपालन विभाग,उत्तर प्रदेश,लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट पर डालना सुनिश्चित करें।

(डा0 चरण सिंह यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।